

रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय में

रिट याचिका (टी) सं. 2786/2023

उडीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नीरज कुमार गुप्ता के माध्यम से

याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय बाहरी सर्कल रोड, बिस्टुपुर, डाकघर एवं थानाबिस्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम में है।
2. उपायुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डिवीजन III, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय बाहरी सर्कल रोड, बिस्टुपुर, डाकघर एवं थानाबिस्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम में है।
3. अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आदित्यपुर-6 रेंज, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय आउटर सर्कल रोड, बिस्टुपुर, डाकघर एवं थाना बिस्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम में है।

विरोधी पक्ष:

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री कुमार वैभव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता: श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

निर्णय विचाराधीन 07/12/2023

घोषित ON.20/02/2024

न्यायमूर्ति दीपक रोशन के अनुसार,- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह सुनी।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए तत्काल रिट आवेदन को प्राथमिकता दी है:

(क) डी. आई. एन.-20230460X000000 बी. सी. 3. सी. (अनुलग्नक-11) वाले दिनांकित 25.04.2023 आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा धनवापसी के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें रुपये की पूर्व-जमा राशि के ब्याज के साथ 50,00,000/- और रु/ 1,56,31,698/- [कुल रु 2,06,31,698/-] धनवापसी की मांग सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा की गई आवकारी अपीलों में की गई थी, को खारिज कर दिया गया है

(ख) दिनांक 25.04.2023 के उपरोक्त आदेश को रद्द करने पर, उत्तरदाताओं को रुपये 2,06,31,698/- की उपरोक्त पूर्व-जमा राशि को याचिकाकर्ता को लागू वैधानिक हित के साथ तुरंत और अभी वापस करने का निर्देश देने के लिए;

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मूल आदेश के खिलाफ सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष चार अपीलों की हैं। दिनांक 10.03.2015 को, याचिकाकर्ता ने सी.ई.एस.टी.ए.टी. में 1,56,31,698/- रुपये की पूर्व-जमा राशि जमा की। । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 50,00,000/- रुपये की पूर्व-जमा राशि भी सी.ई.एस.टी.ए.टी. में जमा की।

इस बीच, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक याचिका एन. सी. एल. टी., कोलकाता द्वारा स्वीकार की गई थी। समाधान पेशेवर ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दावे दायर करने के लिए एक विशिष्ट नोटिस जारी किया। घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना। (जी. एम. एस. पी. एल) को एन. सी. एल. टी., कोलकाता द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व के दावों/मांगों को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए एन. सी. एल. टी. कटक के समक्ष आवेदन किया। एन. सी. एल. टी. कटक ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और एक आदेश पारित किया कि राजस्व के दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा, इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटियों को दिनांक 11.05.2022 के आदेश द्वारा ठीक किया गया था।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी लंबित अपीलों को वापस लेने के लिए सी.ई.एस.टी.ए.टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया और सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने याचिकाकर्ता की अपीलों को वापस लेते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35-एफ के अनुसार पूर्व-जमा राशि की वापसी की मांग करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष एक और आवेदन को प्राथमिकता दी, लेकिन याचिकाकर्ता के आवेदन को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के वकील श्री इंद्रजीत सिन्हा ने याचिकाकर्ता पर सेनवैट क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को राजस्व द्वारा कारण बताए जाने का नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उसी का जवाब दिया और उसके बाद याचिकाकर्ता से कर की मांग करते हुए मूल आदेश पारित किए गए। मूल आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। वह आगे प्रस्तुत करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अपीलों में कुल रु.2,06,31,608/- की राशि भी जमा की थी।

सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता के समक्ष उपरोक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आई. बी. सी.") की धारा 7 के तहत एक याचिका याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके वित्तीय लेनदार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता ("एन. सी. एल. टी., कोलकाता") के समक्ष दायर की गई थी। उक्त याचिका को 03.08.2017 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि समाधान पेशेवर ने अपने दिनांकित पत्र 10.08.2017 के माध्यम से याचिकाकर्ता की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के बारे में प्रतिवादी-राजस्व को विशेष रूप से सूचित किया और प्रतिवादी-राजस्व से आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ अपना दावा दायर करने का भी अनुरोध किया। याचिकाकर्ता की दिवाला समाधान प्रक्रिया के विशिष्ट नोटिस में रखे जाने के बावजूद, प्रतिवादी-राजस्व ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ कोई दावा दायर नहीं किया। चूंकि प्रतिवादी-राजस्व द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया था, इसलिए यह याचिकाकर्ता-कंपनी की अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा नहीं था और इसलिए स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार यह समाप्त हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि एन. सी. एल. टी., कोलकाता ने आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड ("जी. एम. एस. पी. एल.") और अन्य द्वारा दायर समाधान योजना को मंजूरी दी।

विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता और जी. एम. एस. पी. एल. ने आई. ए. के रूप में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया। (आई. बी.) एन. सी. एल. टी. कटक के समक्ष, जी. एम. एस. पी. एल. और ओ. एम. एम. एल. द्वारा एन. सी. एल. टी., कटक के समक्ष दायर आवेदन में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी-राजस्व के दावों/मांगों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। एन. सी. एल. टी. कटक ने दिनांक 22.04.2022 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त आवेदन की अनुमति दी और इस आशय का आदेश पारित किया कि प्रतिवादी-राजस्व के दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश

दिनांक 22.04.2022 में कुछ टंकण संबंधी त्रुटियों को दिनांक 11.05.2022 के आदेश द्वारा ठीक किया गया था।

श्री सिन्हा आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने लंबित अपीलों में सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता के समक्ष उत्पाद शुल्क विविध आवेदन दायर किए। सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 22.03.2023 के आदेश के अनुसार, मूल आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपीलों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने आयुक्त, सी. जी. एस. टी. और सी. एक्स., जमशेदपुर के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दायर किया है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के तहत अपील दायर करने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (पूर्व-जमा राशि) की वापसी की मांग की गई है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने पूर्व-जमा राशि पर ब्याज के साथ धनवापसी की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए धनवापसी आवेदन को खारिज कर दिया।

श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि उपरोक्त आदेश दिनांक 1 इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पूरे मामले का गलत अर्थ निकाला है और आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के दायरे और दायरे को भी गलत समझा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश का गलत अर्थ निकाला है और यह समझने में विफल रहा है कि दावे को समाप्त करना याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व का है, और यह याचिकाकर्ता द्वारा अपीलों में किए गए पूर्व-जमा की वापसी का दावा करने के लिए एक बाधा नहीं होगी, क्योंकि अब मांगी गई राशि जीवित नहीं रहती है क्योंकि याचिकाकर्ता की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में राजस्व द्वारा उनका दावा नहीं किया गया था।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री अमित कुमार प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के धनवापसी आवेदन की जांच भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पूर्व जमा राशि के धनवापसी के लिए जारी परिपत्र संख्या 984/08/2014-सीएक्स दिनांक 16.09.2014 में निर्धारित शर्तों के आलोक में की गई थी। वह आगे प्रस्तुत करता है कि जहां पक्षकार/निर्धारिती के पक्ष में अपील का निर्णय लिया जाता है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफएफ या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ईई के संदर्भ में जमा करने की तारीख से धनवापसी की तारीख तक निर्धारित दर पर ब्याज के साथ जमा की गई राशि की वापसी का हकदार होगा। हालांकि, तत्काल मामले में सी. ई. एस. टी. ए. टी., कोलकाता ने अपने दिनांकित 22.03.2023 के आदेश के माध्यम से अपीलों को "वापस" लेते हुए खारिज कर दिया। सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने मेसर्स ओ. एम. एम. एल. द्वारा उनके पक्ष में दायर अपील पर निर्णय नहीं लिया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा शुल्क का भुगतान नहीं है। इसलिए, पूर्व-जमा की वापसी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम, 1944 की धारा 11बी या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 के तहत शुल्क की वापसी की प्रक्रिया के अधीन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उन सभी मामलों में जहां अपीलीय प्राधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में मामले का फैसला किया है, अपीलार्थी को ब्याज के साथ धनवापसी का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलीय प्राधिकरण ने मेसर्स ओ. एम. एम. एल. की अपीलों का उनके पक्ष में निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मेसर्स ओ. एम. एम. एल. के धनवापसी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है और यह अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन मूल आदेश, दिनांक 25.07.2013, 11.11.2013 और 29.09.2014 को पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता (सी.ई.एस.टी.ए.टी.) के समक्ष तीन अपीलों को प्राथमिकता दी थी।। उक्त अपीलों में, दिनांक 10.03.2015 को रुपये 1,56,31, 698/- और दिनांक 22.01.2016 को रु 50,00,000/- की पूर्व जमा राशि का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था।

उक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता दिवालिया हो गया, जो अंततः घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना के अनुमोदन में समाप्त हुआ। ("जी. एम. एस. पी. एल.") 22.06.2018 पर और राजस्व ने समाधान प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने दावे दर्ज नहीं किए, और इसलिए, समाधान योजना के अनुमोदन पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व के दावे (उपरोक्त तीन मूल आदेशों के तहत) समाप्त हो गए।

7. यह आगे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता और उक्त जी. एम. एस. पी. एल. ने इसके बाद एल. डी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया। एन. सी. एल. टी., कटक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 74 (3) के साथ पठित धारा 60 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के साथ पठित उपरोक्त तीन मूल आदेशों को रद्द करने की मांग की और उक्त आवेदन को एल. डी. द्वारा अनुमति दी गई। एन. सी. एल. टी., कटक, जिसने नीचे दिए गए दिनांक 22.04.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"आई. ए. (आई. बी.) सं. 81/सी. बी./2021

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित हैं। यह याचिका प्रतिवादी, वैधानिक प्राधिकरणों के दावों को रद्द करने से संबंधित है, जो सी. पी. (आई. बी.) संख्या 81/2021 में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले की अवधि से संबंधित है, जिसमें समाधान योजना को इस न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ द्वारा दिनांक 22.06.2018 को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। एक

बार जब आई. बी. सी., 2016 की धारा 31 की उप-धारा (i) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी दावे जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित किसी भी बकाया का दावा नहीं करेगा। इस न्यायाधिकरण का विचार है कि समाधान योजना के अनुमोदन के अनुसार ऐसे दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

तदनुसार, इस याचिका की अनुमति है।

8. यह आगे प्रतीत होता है कि चूंकि उपरोक्त मूल आदेशों के तहत कर देयता समाप्त हो गई थी, जिसकी पुष्टि एल. डी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 22.04.2022 द्वारा भी की गई थी। एन. सी. एल. टी., याचिकाकर्ता ने एल. डी. के समक्ष विविध आवेदन दायर किए। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने लंबित अपीलों में एन. सी. एल. टी. के समक्ष सभी तथ्यों का वर्णन करते हुए एन. सी. एल. टी. के आदेशों और परिणामी राहतों के संदर्भ में अपील का निपटारा करने के आदेश मांगे हैं। इसके बाद, एल. डी. द्वारा 22.02.2023 दिनांकित आदेश पारित किया गया। सी. ई. एस. टी. ए. टी., याचिकाकर्ता की अपीलों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से राजस्व से ब्याज के साथ पूर्व-जमा राशि की वापसी का अनुरोध किया। उक्त आवेदन को राजस्व द्वारा दिनांकित 25.04.2023 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसे तत्काल रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

9. यह आगे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक दिवालिया याचिका के बाद एल. डी. द्वारा 03.08.2017 पर स्वीकार किया गया था। एन. सी. एल. टी. कोलकाता। नियुक्त समाधान पेशेवर ने अपने दिनांकित पत्र 10.08.2017 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक विशिष्ट नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें NCLT की कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया और उनसे अपने दावों के संबंध में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का भी अनुरोध किया गया, हालाँकि, राजस्व ने समाधान पेशेवर के समक्ष कोई दावा दायर नहीं किया।

इसके बाद, एल. डी. द्वारा 22.06.2018 दिनांकित आदेश पारित किया गया। एन. सी. एल. टी., कोलकाता, समाधान आवेदक-घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दी गई। इस प्रकार, राजस्व के दावे/बकाया, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने से पहले की अवधि से संबंधित थे, अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, और इसलिए समाप्त हो गया, और केवल इसी आधार पर, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में (2021) 9 एस. सी. सी. 657] में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है:

"102. परिणामस्वरूप, हम अपने द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं: 102.1 कि एक बार धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को विधिवत अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, समाधान योजना में दिए गए दावे रोक दिए जाएंगे और केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारकों सहित कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि पर, ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति किसी दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

.....

102.3 परिणामस्वरूप केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित सभी बकाया, यदि समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, तो समाप्त हो जाएंगे और उस तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे बकाया के संबंध में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है जिस दिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत अपनी मंजूरी देता है।"

घनश्याम मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स रुचि सोया इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ के मामले में (2022) 6 एस. सी. सी. 343 में रिपोर्ट किया, जिसमें इसे फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दोहराया गया: -

"10. हम पाते हैं कि वर्तमान अपीलें घनश्याम मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर की गई हैं। 11. मान लीजिए, मांग के संबंध में दावा जो वर्तमान कार्यवाही का विषय है, प्रत्यर्थी सं। 2 आई. बी. सी. की धारा 13 और 15 के तहत सार्वजनिक घोषणाएं जारी की गईं। इस प्रकार, जिस तारीख को विद्वान एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी, सभी दावे रोक दिए गए थे, और कोई भी दावा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, जीवित नहीं रहेगा।

13. 13. मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलों को केवल इसी आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। यह माना जाता है कि प्रत्यर्थी का दावा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, जीवित नहीं रहता है। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने के समय जमा की गई राशि और उस पर उपार्जित ब्याज को अपीलार्थी को वापस करने का निर्देश दिया जाता है.....।”

इसके अलावा, मेसर्स ई. एस. एल. स्टील लिमिटेड बनाम प्रधान आयुक्त, सी. जी. एस. टी. और सी. एक्स. [डब्ल्यू. पी. टी. सं. 1995/2023, दिनांकित <आई. डी. 1] के मामले में माननीय न्यायालय ने भी घनश्याम मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति पर विचार किया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है:

“5. यह भी सामने आता है कि घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वसूली या कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है, 17.04.2018 (अनुलग्नक-1) से पहले किसी भी बकाया के लिए, यानी जिस तारीख को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की समाधान योजना को मंजूरी दी है। उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यह केवल पिछली अवधि का पूर्व दायित्व समाप्त हो जाता है जब नया प्रबंधन समाधान योजना के हिस्से के रूप में कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेता है.....।”

यह आगे स्पष्ट करता है कि राजस्व ने एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी है और इसलिए वे अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं और राजस्व पर बाध्यकारी हैं।

10. उपरोक्त चर्चा और कानून के तय किए गए प्रस्ताव के संबंध में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि विवादित आदेश में राजस्व ने कानून में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है और विद्वान एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला है। एल. डी. द्वारा पारित 22.04.2022 दिनांकित आदेश का उद्देश्य। एन. सी. एल. टी. जिस पर राजस्व ने याचिकाकर्ता के इस दावे को अस्वीकार करने के लिए भरोसा किया है कि “.....कोई भी व्यक्ति केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित किसी भी बकाया का दावा नहीं करेगा.....।” बल्कि याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व के दावों पर लागू होता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पूर्व-जमा को वापस नहीं किया जाना है; इससे भी अधिक, जब बहुत ही कर देयता समाप्त हो गई है।

इसके अलावा, यदि राजस्व याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पूर्व-जमा को बरकरार रखता है, तो यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा क्योंकि वही कर देयता जो अपील का विषय थी, समाप्त हो गई थी।

11. कानून के प्रावधानों के अनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष मूल आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के दौरान, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के अनुसार पूर्व-जमा किया जाना है और उक्त अधिनियम की धारा 35 एफ. एफ. में पूर्व-जमा के विलंबित धनवापसी पर ब्याज का प्रावधान है।

जहाँ तक याचिकाकर्ता के धनवापसी आवेदन के बारे में राजस्व के रुख की जांच इस संबंध में परिपत्र संख्या 984/08/2014 CX दिनांक 16.09.2014 के अनुसार की गई थी, यह देखा गया है कि उक्त परिपत्र तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अधिनियमन से पहले की अवधि का है। इसके अलावा, विवादित आदेश में उक्त परिपत्र का कोई संदर्भ नहीं है।

राजस्व ने निम्नलिखित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी है:

- (i) *राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड [(2023) 9 एस. सी. सी. 545 में सूचित]*
- (ii) *संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1406 में सूचित]*

उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर हैं और तत्काल मामले के तथ्यों में लागू नहीं होते हैं। इंद्रधनुष पत्रों के मामले में, राजस्व ने न केवल समाधान पेशेवर के समक्ष अपने दावे दायर किए (एस. सी. सी. के पैरा 10 का संदर्भ लें) और एन. सी. एल. टी. के समक्ष समाधान योजना को भी चुनौती दी थी (एस. सी. सी. के पैरा 15 का संदर्भ लें)। हालांकि, तत्काल मामले में, न तो राजस्व द्वारा समाधान पेशेवर के समक्ष कोई दावा दायर किया गया था और न ही राजस्व द्वारा समाधान योजना या एनसीएलटी द्वारा पारित किसी अन्य आदेश को कोई चुनौती दी गई थी।

संजय कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में, रेनबो पेपर्स में फैसले के खिलाफ एक समीक्षा दायर की गई थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

12. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, डी. आई. एन. 20230460X000000बीसी3सी (अनुलग्नक 11) वाले 25.04.2023 के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी राजस्व को रुपये 2,06,31,698/- की उपरोक्त पूर्व जमा राशि याचिकाकर्ता को लागू वैधानिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

यह बिना कहे चला जाता है कि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

13. नतीजतन, तत्काल रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है और लंबित आई. ए., यदि कोई हो, तो भी बंद कर दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति रॉगोन मुखोपाध्याय)

(न्यायमूर्ति दीपक रोशन)

झारखंड उच्च न्यायालय

दिनांकित 20/02 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।